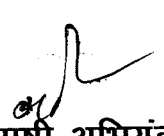


(समाचारपत्रो/बैवसाईट मे प्रकाशन हेतु)

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
पुराना मेडिकल प्रशिक्षण केन्द्र, स्वास्थ्य भवन परिसर, झालामण्ड सर्किल के पास, जोधपुर
क्रमांक:-1896-1907 दिनांक:-7.1.13

ई-निविदा सूचना संख्या 19 वर्ष 2012-13

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से इस खण्ड के अधीन निम्नलिखित स्थानों आउ एवं सांवरीज जिला जोधपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों हेतु उपयुक्त श्रेणी मे सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/ रेल्वे इत्यादि मे पंजीकृत संवेदको जो कि राजस्थान सरकार के एए., ए., बी. श्रेणी के संवेदको के समकक्ष हो, से निर्माण कार्यों हेतु निर्धारित प्रपत्र मे ई-प्रोक्यूरमेन्ट निविदाये आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण DPIR की वैब साईट www.dipronline.Org , <http://eproc.rajasthan.gov.in> व विभागीय वैब साईट <http://rajswasthya.nic.in> पर देखा जा सकता है।


अधिशाषी अभियंता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
जोधपुर

(वैब साईट पर अपलोड करने बाबत)

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
पुराना मेडिकल प्रशिक्षण केन्द्र, स्वास्थ्य भवन परिसर, झालामण्ड सर्किल के पास, जोधपुर
क्रमांक:-1896-1907 दिनांक:-7.1.13

ई-निविदा सूचना संख्या 19 वर्ष 2012-13

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से इस खण्ड के अधीन निम्नलिखित कार्यों हेतु तीन साल की दोष निवारण अवधि तक के लिये उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदको जो कि राजस्थान सरकार के एए., ए., बी.श्रेणी के संवेदको, से निर्माण कार्यों हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑन लाईन निविदाये आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)	धरोहर राशि (रु. लाखों में)	निविदा शुल्क (रु. में)	कार्य को पूर्ण करने की अवधि	ऑन लाईन निविदा खोलने का कार्यालय
1.	जोधपुर	प्रा.स्वा.केन्द्र आउ में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य।	54.00	1.08	1000/-	9 माह	अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जोधपुर
2.	जोधपुर	प्रा.स्वा.केन्द्र सांवरीज में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य।	54.00	1.08	1000/-	9 माह	

निविदा प्रपत्रों को वैब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा कराये।

निविदा हेतु पात्र संवेदको की श्रेणी :-

किसी भी सीमा तक : एए श्रेणी संवेदक
रुपये 300 लाख तक : ए श्रेणी संवेदक
रुपये 150 लाख तक : बी श्रेणी संवेदक
रुपये 50 लाख तक : सी श्रेणी संवेदक

1. धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में दर्शाई गयी कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी एवं धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ पे आर्डर संबंधित अधिशाषी अभियंता मेडिकल एण्ड हैल्थ A/c स्टेट हैल्थ सोसायटी जोधपुर के नाम से देय होगी।
2. निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन/ डाउनलोड की अवधि दिनांक सोमवार 21 जनवरी, 2013 समय 9.00 बजे से सोमवार 31 जनवरी, 2013 सांय 5.00 बजे तक होगी।
3. (अ) निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वैब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर शुक्रवार 1 फरवरी, 2013 अपराह्न 2.00 बजे तक जमा कराये जा सकते हैं एवं प्राप्त निविदाये इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वैब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जोधपुर के कार्यालय में सोमवार 4 फरवरी 2013 को अपराह्न 3.00 बजे खोली जायेगी।

12. संवेदक द्वारा उक्त कार्यों के लिये निर्धारित मशीनरी जो निविदा की स्पेशल कंडीशन में वर्णित है, को स्वयं के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण पत्र देना होगा।

13. निविदा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है:-

कार्य की अनुमानित राशि	:	निविदा शुल्क
50 लाख से कम	:	500 /- रुपये
50 लाख से 150 लाख तक	:	1000 /- रुपये
150 लाख से 400 लाख तक	:	2000 /- रुपये

14. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.1(1)एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रुपये तक की राशि के कार्यों के लिये 500/- राशि व 50.00 लाख रुपये अधिक राशि के कार्यों के लिये 1000/- रुपये की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में देय होगी। यह डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल. के पक्ष में जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिये।

15. कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि शामिल है।

16. कार्य का दोष निवारण एवं उनके सुधार का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात् तीन वर्ष तक रहेगा।

17. ई-टेन्डरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश

अ) इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों को इन्टरनेट साईट <http://eproc.rajabasthan.gov.in> से डाउनलोड कर सकते हैं।

ब) निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट <http://eproc.rajabasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाईन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

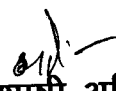
स) निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।

द) ऑन लाईन निविदाये निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जायेगी।

य) इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।

र) कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रॉनिकल जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।

ल) टेण्डर के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।


अधिशायी अभियंता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
जोधपुर

(ब) निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
(स) निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी निविदाये नहीं खोली जा सकती है तो उसके अगले कार्य दिवस शेष निविदाये खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।

4. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि तथा आर.आई.एस. एल. के पक्ष में देय शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के साथ रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं बिक्री कर चुकता का प्रमाण पत्र की प्रतियां वेब साइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करना आवश्यक है।
5. अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जोधपुर कार्यालय में संवेदक द्वारा सोमवार 21 जनवरी, 2013 समय 9.00 बजे से गुरुवार 31 जनवरी, 2013 सांय 5.00 बजे तक निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है अथवा वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर भी देखे जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदाकर्ता के लिये योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राईंग, विभिन्न कार्यों की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित है।
6. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा अधिशाषी अभियंता, मेडिकल एण्ड हैल्थ A/c स्टेट हैल्थ सोसायटी, जोधपुर के पक्ष में बनाया जायेगा। निविदा शुल्क व धरोहर राशि एवं आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जोधपुर कार्यालय में सोमवार 4 फरवरी 2013 अपराह्न 1.00 बजे तक जमा कराया जा सकेगा।
7. निविदा खोलने की दिनांक से 70 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य(Open) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
8. यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त संबंधी एवं उनके पति पत्नि) कार्य से संबंधित वृत्त अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
9. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवा निवृत्ति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां सेवाएं लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
10. निविदादाता इन प्रपत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के रूप में अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जोधपुर के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराना आवश्यक है।
11. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित हैं। अतः पी.डब्ल्यू.ए-100 की समस्त शर्तें मान्य होंगी।